

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 485/2025

श्री संजीव कुमार, निवासी वीपीओ बिश्शनपुरा बडागांव, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 01.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 17.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 485/2025 पर दिनांक 17.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/5054-5055 दिनांक 17.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक सू०अ०/रीडर/2025/1223 दिनांक 24.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री संजीव कुमार, निवासी बिश्शनपुरा, बडागांव, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदक को उनके आवेदन दिनांकित 12.10.2025 द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1209 दिनांक 24.11.2025 द्वारा स्पीड पोस्ट (रजिस्टर्ड डाक) के सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक सू०अ०/रीडर/2025/1223 दिनांक 24.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री संजीव कुमार, निवासी बिश्शनपुरा, बडागांव, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदक को उनके आवेदन दिनांकित 12.10.2025 द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1209 दिनांक 24.11.2025 द्वारा स्पीड पोस्ट (रजिस्टर्ड डाक) के सूचित किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि चाही गई सूचना काल्पनिक एवं प्रश्नात्मक है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यालय में संघारित सूचना ही देय है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरूण गर्ग)

जिला कलक्टर झुंझुनूं